जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 1491 दिनांक : 28/2/14

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04 जनवरी, 2014 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एस-सी. (नर्सिंग) तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय I N C Norms के अनुसार शिक्षकों एवं प्राचार्य की नियुक्ति परिनियम 28(17) में करके, उसका अनुमोदन कार्यपरिषद से करा लें।
2. पुस्तकालय के लिए पाँच जर्नल एवं रू0 50,000/- की पुस्तकें क्रय की जावें।
3. निरीक्षण के दौरान स्थायी प्राचार्य, शिक्षक (केवल दो को छोड़कर), पुस्तकालयाध्यक्ष, क्रीड़ा अधिकारी 28(17) के अंतर्गत नियुक्त नहीं किये गये है। महाविद्यालय वर्ष 2009 से संचालित किया जा रहा है। अतः महाविद्यालय द्वारा नियमानुसार शिक्षकों, प्राचार्य एवं अन्य गैर शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियां तीन माह में आवश्यक रूप से कर ली जावें। यदि उपरोक्त शर्त की पूर्ति तीन माह में नहीं की जाती है तो वर्ष 2013-14 की अस्थायी सम्बद्धता प्रदान ना की जावें और INC को इसकी सूचना दी जावें।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर।
2. सचिव, इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, टैम्पल लैन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)